परिपत्र सं. 261/07/2026- जीएसटी

फ़ा.संख्या सीबीआईसी-20001/2/2026-जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग

कमरा संख्या160-39, कर्तव्य भवन
नई दिल्ली, दिनांक 26.10.2026

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्तमुख्य आयुक्त /, केंद्रीय कर

सभी प्रधान महानिदेशक महानिदेशक । /

महोदया/महोदय,

विषयः केन्द्रीय माल और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 17(4) के प्रावधानों से संबंधित मुद्दों पर के संबंध में स्पष्टीकरण ।

ऐसी बैंकिंग कंपनियों या वित्तीय संस्थानों, जिनमें गैर शामिल हैं,वित्तीय कंपनियां भी शामिल हैं, जो जमा स्वीकार करने, ऋण या अग्रिम देने के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई हैं, द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "सीजीएसटी अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 17(4) के प्रावधानों का पालन करने का विकल्प चुनने की स्थिति में, शून्य-दर आपूर्ति सहित कर-योग्य आपूर्ति के प्रति क्रेडिट के प्रभाजन के संबंध में अपनाई जा रही विभिन्न पद्धतियों को स्पष्ट करने के अनुराध के साथ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

.2 इस मामले की जांच की गई है। क्षेत्रीय संरचनाओं में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उठाए गए मुद्दों को निम्न स्पष्टीकरण जारी करता है:

क्रं. सं.	मुद्दा	स्पष्टीकरण

1.	क्या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित बैंकिंग कंपनियों या वित्तीय संस्थानों के सभी पंजीकरण, यहां तक कि जो जमा स्वीकार करने, ऋण और अग्रिम देने के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने में शामिल नहीं हैं, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के प्रावधानों का पालन करने का विकल्प चुन सकते हैं या उन्हें विकल्प चुनना आवश्यक है?	बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्थान जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी शामिल है, जो जमा स्वीकार करने, ऋण और अग्रिम देने के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है, को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (2) के अनुसार आनुपातिक लाभ के बजाय, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (4) के तहत, शून्य-दर आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्ति के लिए क्रेडिट के आवंटन के उद्देश्य से, योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का 50% लाभ उठाने का विकल्प प्रदान करती है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि: a. किसी बैंकिंग कंपनी या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित किसी वित्तीय संस्थान का पंजीकरणकर्ता ("विशिष्ट व्यक्ति") जो जमा स्वीकार करने, ऋण और अग्रिम देने के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने में संलग्न नहीं है, जैसे कि विशेष रूप से "बुलियन ट्रेडिंग" आदि में संलग्न व्यक्ति के पास न तो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के प्रावधानों का विकल्प है और न ही उन्हें इसका पालन करने की आवश्यकता है। b. किसी बैंकिंग कंपनी या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित किसी वित्तीय संस्थान का पंजीकरणकर्ता ("विशिष्ट व्यक्ति") जो जमा

		स्वीकार करने, ऋण और अग्रिम देने के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है, और जो उक्त सेवाओं के अलावा अन्य सेवाएं प्रदान करने में भी लगा हो सकता है, उसके पास सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के प्रावधानों का पालन करने का विकल्प है। c. इसके अलावा, यदि किसी बैंकिंग कंपनी या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित किसी वित्तीय संस्थान का एक पंजीकरणकर्ता ("विशिष्ट व्यक्ति"), जो जमा स्वीकार करने, ऋण और अग्रिम देने के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है, और जो उक्त सेवाओं के अलावा अन्य सेवाएं प्रदान करने में भी लगा हो सकता है, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के प्रावधानों का पालन करने का विकल्प चुनता है, उक्त बैंकिंग कंपनी या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित किसी वित्तीय संस्थान के सभी पंजीकरणकर्ता, जो जमा स्वीकार करने, ऋण और अग्रिम देने के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए हैं, और जो उक्त सेवाओं के अलावा अन्य सेवाएं प्रदान करने में भी लगे हो सकते हैं, को अनिवार्य रूप से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के प्रावधानों का पालन करना होगा।

2.	क्या सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 17(4) के दूसरे परंतुक के प्रावधान, बैंकिंग कंपनी या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित किसी वित्तीय संस्थान के समान पैन रखने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति पर चुकाए गए कर पर लागू होंगे, जहां ऐसा पंजीकृत व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के प्रावधानों का पालन करने का विकल्प नहीं चुनता है?	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) का दूसरा परंतुक उन लोगों को, जिसने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के प्रावधानों का अनुपालन करने का विकल्प चुना है, ताकि वह इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का केवल 50% ही प्राप्त करके प्रतिबंध से छूट प्रदान करता है। उक्त प्रावधान को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) की प्रयोज्यता के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, जो बैंकिंग कंपनी या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित वित्तीय संस्थान के उन पंजीकरणकर्ताओं पर लागू होता है, जो जमा स्वीकार करने, ऋण और अग्रिम देने के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए हैं, और जिन्होंने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के प्रावधानों का अनुपालन करने का विकल्प चुना है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के दूसरे परंतुक के तहत ऐसी छूट केवल उसी समान पैन वाले किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त आपूर्ति के संबंध में उपलब्ध है, जिसने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के प्रावधानों का अनुपालन करने का विकल्प चुना है।

3.	फॉर्म जीएसटीआर-3ख में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने और उसे वापस लेने की रिपोर्टिंग का सही तरीका क्या है, जिसका पालन बैंकिंग कंपनी या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित वित्तीय संस्थान, जो जमा स्वीकार करने, ऋण या अग्रिम देने के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने में लगे हैं, जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के प्रावधानों का पालन करने का विकल्प चुनते हैं, द्वारा किया जाना चाहिए?	1. यह उल्लेख किया जाता है कि फॉर्म जीएसटीआर-3ख में आईटीसी का लाभ उठाने और उसके रिवर्सल के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के सही तरीके को स्पष्ट करने के लिए दिनांक 06.07.2022 का परिपत्र संख्या 170/02/2022-जीएसटी जारी किया गया था। इसके अलावा, अक्टूबर 2024 से इनवॉइस प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें पंजीकृत व्यक्ति को आवक आपूर्ति से संबंधित इनवॉइस या अन्य दस्तावेजों को आईएमएस पर स्वीकार करने, अस्वीकार करने या लंबित रखने की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि फॉर्म जीएसटीआर-3ख में आईटीसी का सटीक ऑटो-पॉपुलेशन हो सके। 2. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (सीजीएसटी नियम) के नियम 38 के साथ सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3ख में आईटीसी की उपलब्धता और रिवर्सल की रिपोर्टिंग का सही तरीका निम्नलिखित है: **A. जिन मामलों में आईएमएस का प्रयोग नहीं किया गया:** a. यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि

		निम्नलिखित राशि से आईटीसी की योग्यता क्या है: (i) जो फॉर्म जीएसटीआर-2 ख में उपलब्ध आईटीसी में से फॉर्म जीएसटीआर-3 ख में स्वचालित रूप से भरी गई है (रिवर्स चार्ज के अधीन आने वाली आवक आपूर्ति पर आईटीसी को छोड़कर), और (ii) जिसका उक्त फॉर्म जीएसटीआर-3 ख में रिवर्स चार्ज के अधीन आने वाली आवक आपूर्ति पर दावा किया गया है। b. धारा 16 के तहत योग्य पाई गई आईटीसी की राशि का लाभ करदाता द्वारा उक्त कर अवधि के फॉर्म जीएसटीआर-3 ख में निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार उठाया जाएगा: i. गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट और इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए कर का क्रेडिट और धारा 17 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट आपूर्तियों के लिए जिम्मेदार क्रेडिट को उक्त फॉर्म जीएसटीआर-3ख की तालिका 4(ख)(1) में स्थायी रूप से रिर्वस किया जाएगा; ii. धारा 17 की उपधारा (4) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट इनपुट और इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए कर का क्रेडिट प्राप्त किया जाएगा; और iii. आईटीसी की शेष राशि का 50% करदाता

		के लिए स्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा और इसका लाभ उठाया जाएगा। शेष राशि को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के प्रावधानों के अनुसार उसी कर अवधि के फॉर्म जीएसटीआर-3ख की तालिका 4(ख)(1) में स्थायी रूप से रिवर्स कर दिया जाएगा। c. आई.टी.सी. की वह राशि जो सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत शर्तों को पूरा न करने के कारण योग्य नहीं मानी जा सकती, लेकिन जो भविष्य में ऐसी शर्तों को पूरा करने पर योग्य हो सकती है, उसे उसी कर अवधि के फॉर्म जी.एस.टी.आर.-3ख में, उक्त फॉर्म जी.एस.टी.आर.-3ख की तालिका 4(ख)(2) में अस्थायी रूप से रिवर्स किया जाना चाहिए। d. अपेक्षित शर्तों को पूरा करने पर ऐसे आईटीसी को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के तहत समय सीमा के अधीन, बाद की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3ख की तालिका 4(A)(5) में रिटर्न में पुनः दावा किया जा सकता है और इसे ऊपर अनुच्छेद b में बताई गई प्रक्रिया के अधीन भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे सभी पुनः दावा किए गए आई.टी.सी. को उस बाद की कर अवधि के फॉर्म जीएसटीआर -3ख की टेबल 4(घ)(1) में भी दर्शाया जाना चाहिए।

		B. आईएमएस (IMS) से संबंधित सीजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन अधिसूचित होने के बाद, उन मामलों सहित जहाँ ऐसे संशोधन से पहले भी IMS का उपयोग किया गया है: a. करदाता के पास आईएमएस पर प्राप्त आवक आपूर्ति से जुड़े इनवॉइस या अन्य दस्तावेज़ो को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या लंबित रखने का विकल्प होता है। b. पंजीकरणकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह आवक आपूर्ति से संबंधित उन इनवॉइस या अन्य दस्तावेजों को आईएमएस पर लंबित रखे, जिन पर मिलने वाला आईटीसी वर्तमान में करदाता के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन जो भविष्य में ऐसी शर्तों के पूरा होने पर योग्य हो सकता है। ऐसा आईटीसी फॉर्म जीएसटीआर -2ख में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और इसलिए यह फॉर्म जीएसटीआर -3 ख में स्वतः नहीं भरा जाएगा। c. इसके बाद, आवक आपूर्ति से संबंधित उन इनवॉइस या अन्य दस्तावेजों के संबंध में आईटीसी की राशि, जो आईएमएस पर स्वीकार की गई और स्वीकार की गई मानी गई है, फॉर्म जीएसटीआर -2 ख में उपलब्ध कराई

		जाएगी, और फॉर्म जीएसटीआर -3 ख में अपने आप भर जाएगी। d. निम्नलिखित राशियों के कुल योग के संबंध में: (i) स्वतः भरी गई ऐसी आईटीसी राशि (रिवर्स चार्ज के अधीन आवक आपूर्ति पर मिलने वाली आईटीसी को छोड़कर), और (ii) उक्त फॉर्म जीएसटीआर -3ख में रिवर्स चार्ज के अधीन आवक आपूर्ति पर दावा की गई आईटीसी राशि; आईटीसी का लाभ उठाने और उसे रिवर्सल की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार की जानी आवश्यक है जैसा कि ऊपर भाग A के अनुच्छेद (b) में वर्णित किया गया है। 3.यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के प्रावधानों का पालन करने का विकल्प चुनने वाले करदाताओं द्वारा विभिन्न अवधियों में, फॉर्म जीएसटीआर-3ख में आईटीसी का लाभ उठाने और उसे रिवर्सल के संबंध में विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन किया गया हो सकता है। क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे पिछले समय के लिए आईटीसी का लाभ उठाने और उसे रिवर्सल की रिपोर्टिंग की किसी अलग प्रक्रिया के विषय में कोई प्रतिकूल दृष्टिकोण न

		अपनाएं, बशर्ते कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के प्रावधानों के तहत प्राप्त आईटीसी की राशि ऊपर बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप हो।

3. अनुरोध है कि इस परिपत्र की बातों को संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए उचित व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।

4. यदि इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

(गौरव सिंह)

आयुक्त (जीएसटी)